

फर्द अहकाम  
अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर  
राधाकृष्ण वर्मा बनाम लो.सू.अधि. अधिशाषी अभियंता(पवस) जयपुर डिस्कॉम भरतपुर  
किस्म मुकदमा अपील RTI नम्बर 43.. सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
04.09.2024	<p>प्रार्थी/अपीलान्ट राधाकृष्ण वर्मा एड0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद निवासी बडी हवेली गोवर्धन मथुरा की यह अपील आर टी आई के तहत अधिशाषी अभियंता (पवस) जयपुर डिस्कॉम भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अभियंता(पवस) जयपुर डिस्कॉम भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है।</p> <p>अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p>	

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

620  
10/9/24  
मूल अपील  
पापिलु 8  
21/9/24